न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 116/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 285, दिनांक– 20.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. राज कुमार महतो, 2.पदलोचन महतो, दोनो के पिता– स्व0 विवेकानन्द महतो, 3.जबा महतो, पति– स्व0 अग्नि महतो, 4. नितेश महतो, 5. बिष्णु महतो, दोनो के पिता– स्व0 अग्नि महतो, 6. वंदना महतो, पति– भेंगराज महतो, पिता– स्व0 शंभु महतो, 7. जावा महताईन, पिता– स्व0 शंभु महतो सभी साकिम– मोरंगा, पो0– जंगलपुर, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद 8. मालती महताईन, पति– कामदेव महतो, पिता– स्व0 शंभु महतो, साकिम– रामपुर टोला, दक्षिणबाद, पो0– बरदोही, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– चकचिरुबाद, मौजा नं0– 192, पुराना खाता नं0– 30, पुराना प्लॉट सं0– 632, नया खाता सं0– 92, नया प्लॉट सं0– 1188, कुल रकवा– 37 डिसमील भूमि क्रेता सुखदेव महतो, पिता– स्व0 भगतु महतो, साकिम– बड़ा बाघमारा, पो0– बागसुमा, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा दोनो एक ही थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 4.02 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित.

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 13:57:05 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner